**(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)**
**GOVERNMENT OF NATIONALCAPITAL TERRITORY OF DELHI**
**FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT**
**DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002**

No.F.3(20)/Fin(Rev-I)/2015-2016/dsvi/906 Dated: the 12/11/2015

## NOTIFICATION

**No. F.3(20)/Fin(Rev-I)/2015-2016 .-** In exercise of the powers conferred by section 102 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following rules further to amend the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, namely:-

## RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Delhi Value Added Tax ( Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette except the amendments made vide clauses (i), (ii), (vii) and (viii) of rule 2 of these rules which shall be effective for the returns for the tax periods succeeding the tax period ending on 30th September, 2015 and the amendments made vide rules 3 and 4 of these rules shall be deemed to have come into force from 1st October, 2015.

2. **Amendment of Form DVAT 16.-** In the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, (hereinafter referred to as the principal Rules), in the Forms appended thereto, in Form DVAT 16,-

(i) in field R5, the row pertaining to sub-field R5.10 shall be omitted;
(ii) in field R6, the row pertaining to sub-field R6.3(8) shall be omitted;
(iii) in the instructions after field R12, after the instruction Sl. No. 9, the following instruction shall be inserted, namely:-

"10. All dealers conducting sales through web portals / e-platforms of other e-commerce companies / firms are required to furnish details of such sales in Annexure 1E. In case of making sales through more than one e-commerce company / firm, separate formats in Annexure 1E are to be filed for each of the e-commerce company / firm. It is further clarified that all the sales in Annexure 1E have to be mandatorily included in the sales figures in Annexure 2B." ;

(iv) in Annexure 1, in field A1, in the title row of the table, in second column, for the words, symbols and figures "Rate of tax (1, 5, 12.5, 20) %", the words and figure "Rate of tax applicable as per section 4" shall be substituted;

(v) in Annexure 1, in field A3, in the title row of the table, in second column, for the words, symbols and figures "Rate of tax (1, 5, 12.5, 20) %", the words and figure "Rate of tax applicable as per section 4" shall be substituted;

(vi) after Annexure 1D, the following annexure shall be inserted, namely: -

"**ANNEXURE 1E***

**Tax rate wise details of sales conducted through e-commerce web portals**

| Name and EC-I Enrolment ID of the e-Commerce Company/Firm** | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | | | |
| **EC-I Enrolment ID** | | | |
| **Local Sales** | | **Central Sales** | |
| **Tax rate** | **Turnover (Rs.)** | **Tax rate** | **Turnover (Rs.)** |
| Nil (Exempted) | | Nil (Exempted) | |
| 1% | | 1% | |
| 5% | | 5% | |
| 12.5% | | 12.5% | |
| 20% | | 20% | |
| Other (*please specify*) | | Against Form 'C' | |
| Other (*please specify*) | | Other (*please specify*) | |
| **Total** | | **Total** | |

*All the sales in Annexure 1E have to be mandatorily included in the sales figures in Annexure 2B.

**Separate formats to be filled in case of more than one e-commerce company/ firm.

"

**(vii)** in Annexure-2A and Annexure-2A(1), the column 23 shall be omitted and the columns 24 to 31 shall be renumbered as columns 23 to30;and

**(viii)** in Annexure-2B, column 30 shall be omitted.

3. **Amendment of Form DVAT 30.-** In the principal Rules, in the Forms appended thereto, in Form DVAT 30, column 23 shall be omitted and columns 24 to 31 shall be renumbered as columns 23 to 30.

4. **Amendment of Form DVAT 31.-** In the principal Rules, in the Forms appended thereto, in Form DVAT 31, column 30 shall be omitted.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi

**(A.K. Singh)**
**Dy. Secretary VI (Finance)**

No.F.3(20)/Fin(Rev-I)/2015-2016/dsvi/ 906 Dated: the 12/11/2015

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi.
3. Pr. Secy(Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I,P. Estate, New Delhi
4. Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
5. Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya,, New Delhi
6. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.A. to Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Sectt. Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I,P. Estate, New Delhi
10. The Registrar, Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi
11. VAT Officer (Policy), Department of Trade and Taxes, Government of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, New Delhi.
12. Guard File.
13. Website

**(A.K.SINGH)**
**Dy. Secretary VI (Finance)**

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, चौथा तल, ए विंग
आई पी एस्टेट, नई दिल्ली–110002

सं.एफ. 3(20)/वित्त/(राजस्व–1)/2015–16/डीएस–VI/906 दिनांक 12/11/2015

अधिसूचना

सं.एफ. 3(20)/वित्त/(राजस्व–1)/2015–16 .– दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियम

1. संक्षिप्त शीर्ष एवं प्रारंभ :– (1) इन नियमों को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2015 कहा जायेगा।

(2) यह इस नियमावली के नियम 2 के खंड (i), (ii),(vii) एवं (viii) के अनुसार किए गए संशोधनों को छोड़कर दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी जो 30 सितम्बर, 2015 को समाप्त कर अवधि की उत्तरवर्त्ती कर अवधियों की विवरणियों के लिये प्रभावी होगी और इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 के अनुसार किए गए संशोधन, जो 01 अक्टूबर, 2015 से प्रभावी समझा जायेगा।

2. प्रपत्र डीवैट 16 का संशोधनः– दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 (इसके पश्चात् मूल नियमावली के रूप में संदर्भित) में उसके साथ संलग्न प्रपत्र डीवैट–16 में, ––

(i) क्षेत्र आर 5 में, उप–क्षेत्र 5.10 से संबंधित पंक्ति हटाई जायेगी;
(ii) क्षेत्र आर 6 में, उप–क्षेत्र 6.3 (8) से संबंधित पंक्ति हटाई जायेगी;
(iii) क्षेत्र आर 12, के पश्चात् अनुदेशों में, क्रम संख्या 9 पर अनुदेश के पश्चात् निम्नलिखित अनुदेश सन्निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् :–

"10. अन्य ई–कामर्स कंपनियों/फर्मों के वेब पोर्टल/ई–प्लेटफार्मों से बिक्री करने वाले सभी व्यापारियों को ऐसी बिक्री का विवरण परिशिष्ट 1ङ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। एक से अधिक ई–कामर्स कंपनियों/फर्मों के माध्यम से बिक्री करने की स्थिति में परिशिष्ट 2ङ के लिए अलग–अलग प्रपत्रों में प्रस्तुत किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि परिशिष्ट 1ङ में सभी प्रकार की बिक्री परिशिष्ट 2ख के बिक्री आंकड़ों में सम्मिलित हो।

(iv) परिशिष्ट–1 में, क्षेत्र क–1 में, तालिका की शीर्षक पंक्ति में, द्वितीय कॉलम में "कर की दर (1, 5, 12.5, 20)प्रतिशत" शब्दों चिह्नों तथा अंकों के स्थान पर "धारा 4 के अनुसार लागू कर की दर" शब्दों तथा अंकों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(v) परिशिष्ट–1 में, क्षेत्र क–3 में, तालिका की शीर्षक पंक्ति में, द्वितीय कॉलम में "कर की दर (1, 5, 12.5, 20)प्रतिशत" शब्दों चिह्नों तथा अंकों के स्थान पर "धारा 4 के अनुसार लागू कर की दर" शब्दों तथा अंकों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(vi) परिशिष्ट 1 घ के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट सन्निविष्टि किया जायेगा, अर्थात् :–

परिशिष्ट 1ङ

ई–कॉमर्स वेबपोर्टल के माध्यम से संचालित बिक्री का कर दर वार विवरण

| ई–कॉमर्स कम्पनी/फर्म का नाम तथा ईसी–1 नामांकन आईडी** | | | |
|---|---|---|---|
| नाम | | | |
| ईसी–1 नामांकन आईडी | | | |
| स्थानीय बिक्री | | केन्द्रीय बिक्री | |
| कर दर | कुल बिक्री (रुपये) | कर दर | कुल बिक्री (रुपये) |
| शून्य (छूट प्राप्त) | | शून्य (छूट प्राप्त) | |
| 1% | | 1% | |
| 5% | | 5% | |
| 12.5% | | 12.5% | |
| 20% | | 20% | |
| अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) | | प्रपत्र "ग" के समक्ष | |
| अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) | | अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) | |
| कुल | | कुल | |

* परिशिष्ट 2ख में बिक्री आंकड़ों में सम्मिलित परिशिष्ट 1ङ में समस्त बिक्रियां अनिवार्य होंगी।

** एक से अधिक ई–कॉमर्स कंपनी/फर्म के मामले में अलग फार्मेट भरा जाए।

(vii) परिशिष्ट 2क तथा परिशिष्ट 2क (1) में, कॉलम 23 हटाया जायेगा तथा कॉलम 24 से 31 को कॉलम 23 से 30 के रूप में पुनः संख्याकित किया जायेगा; तथा

(viii) परिशिष्ट 2ख में कॉलम 30 को हटाया जायेगा।

(3) **प्रपत्र डीवैट 30 का संशोधनः–** मूल नियमावली उसके साथ संलग्न प्रपत्र में, प्रपत्र डीवैट 30 में कॉलम 23 को हटाया जायेगा तथा कॉलम 24 से 31 को कॉलम 23 से 30 के रूप में पुनः संख्याकित किया जायेगा।

(4) **प्रपत्र डीवैट 31 का संशोधनः–** मूल नियमावली उसके साथ संलग्न प्रपत्र में, प्रपत्र डीवैट 31 में कॉलम 30 को हटाया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(ए0 के0 सिंह )
उप– सचिव –VI (वित्त)

सं.एफ. 3(20)/वित्त/(राजस्व–1)/2015–16/डीएसVI/906 दिनांक 11/11/2015

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :–

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
3 प्रधान सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
4. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
5. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
6. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
7. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
8. नि0 सं0 नेता प्रतिपक्ष, 29 दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
10. पंजीयक, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरण, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
11. वैट अधिकारी (नीति), व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।
12. गार्ड फाईल ।
13. वेबसाइट।

(ए0 के0 सिंह)
उप– सचिव –VI (वित्त)